

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27576 वर्ष 2026**

मुकेश कुमार यादव

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मनोज कुमार यादव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए., सुरेंद्र मोहन मिश्रा

न्यायालय संख्या- 70**माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 115(2), 117(2), 109(1), 110, 324(4), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस के तहत पुलिस स्टेशन-खुथान, जिला-जौनपुर, केस क्राइम नंबर 186/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गुप्त उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का उस पर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि घटना के समय आवेदक घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। घटना के समय आवेदक जौनपुर जिले के रानीपुर चौकी के पुरा अंधेरी गांव के प्रधान की बेटी के विवाह समारोह में गया था और वह शाम 7:30 बजे से रात 10:30 बजे तक वहीं रुका रहा। उपर्युक्त धाराओं के तहत आवेदक के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। घायल व्यक्ति को पांच चोटें आई हैं जिनमें खरोंच और सूजन शामिल हैं और एक्स-रे भी कराया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक 29.06.2026 से जेल में बंद है। यह भी बताया गया कि आवेदक वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।
4. जमानत याचिका का विद्वान एजीए ने कड़ा विरोध किया है।
5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
6. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. आवेदक- **मुकेश कुमार यादव** को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत मुचलका भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i). आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
 - (iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
8. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, निचली अदालत जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)